

कार्यालय, अंचल अधिकारी, कोडरमा


झापंक 30.....

दिनांक 03.03.2018


भू-धारक प्रमाण पत्र

श्री राजीव रंजन, राजस्व कर्मचारी एवं श्री आलोक शर्मा, (प्रभारी) अंचल निरीक्षक के जाँच प्रतिवेदन के अनुसार आवेदक / आवेदका- सिद्धार्थ, पिता / पति- श्री राम लखन, सिंह, ग्राम- कोडरमा, पोस्ट- कोडरमा, थाना- कोडरमा, जिला- कोडरमा के निवासी हैं। मौजा- बाईटांड, थाना सं0- 332, खाता सं0- 08, प्लॉट नं0- 126 / 182, रकवा- 34 डी० भूमि आवेदक को विक्रय पत्र संख्या- 4675 दिनांक 09.09.2005 द्वारा हासिल है। रकवा 22 डी० भूमि की जमाबंदी जो पंजी II के पृष्ठ सं0- 122 / 6 पर श्री रामलखन सिंह, पिता- स्व0 मुरत सिंह के नाम से जमाबंदी दर्ज है। भूमि रेयती खाता की है। उक्त संदर्भ में आवेदक द्वारा शपथ पत्र सं0- 01 दिनांक 27.02.2018 की मूल प्रति उपलब्ध करायी गयी है।

यह प्रतिवेदन रक्वामित्य के लिए वैधिक प्रतिवेदन साबित नहीं है इसका उद्देश्य सिर्फ आवेदक द्वारा धारित भूमि का योगफल ज्ञात करना है।


अंचल अधिकारी,
कोडरमा




विवेदक

KODERMA NAGAR PANCHAYAT

झारखण्ड नगरपालिका अधिनियम-2011 की धारा 152 (3) के अन्तर्गत स्वनिर्धारित किये गये संम्पत्ति कर की सूचना।

Memo No. : 277231080118050554
Date : 08-01-2018
प्राप्तवी : 1 2016-2017

श्री/क्षीमती/सुश्री : SIDDHARTH C/O RAM LAKHAN SINGH,
मोहल्ला : JALWABAD KODERMA
KODERMA, 825410
9431365919

एतद् द्वारा आपको सूचित किया जाता है कि आपका नामा गृह सं. - 0020000312000M0 वाई सं. 2 हुआ है, आपके स्व. निर्धारण घोषणा पत्र के आधार पर वार्षिक कियाया मूल्य 0/- रु. निर्धारित किया गया है।
इसके अनुसार प्रति तिमाही कर निम्न प्रकार होगा।

स्व.निर्धारित कर की सूचना		
क्रम सं.	Particulars	Amount (In Rs.)
1.	गृह कर	111.00
2.	जल कर	0.00
3.	शौचालय कर	0.00
4.	बिजली कर	0.00
5.	अतिरिक्त गृह कर (वर्षा जल संरक्षण की व्यवस्था नहीं होने के कारण)	0.00
कुल राशि (प्रति तिमाही)		111.00



To be signed by the Applicant

नोटः

- कर निर्धारण की सूची, KODERMA NAGAR PANCHAYAT Website, www.lhardhandauda.net पर प्रदर्शित है।
- नियमाली कोडिङ 11.4 के आलोक में एवं जल संरक्षण की व्यवस्था नहीं होने के कारण अतिरिक्त गृह कर लगाया जायेगा जो सम्पत्ति कर का 50% होगा।
- प्रत्येक वित्तीय वर्ष में सम्पत्ति कर का भूगतान ऐमासिक देव होगा।
- यदि किसी वर्ष के लिए सम्पूर्ण धूपति कर का भूगतान वित्तीय वर्ष के 30 जून के पूर्व कर दिया जाता है, तो करदाता को 5% की रियात दी जाएगी।
- किसी देव धूपति को नियमित सम्पादित (प्रत्येक तिमाही) के अन्दर या उसके दूर नहीं धूपता जाता है, तो 1% प्रतिमाह की दर से राशालग्न लगाज देव होगा।
- यह कर निर्धारण आपके स्व.निर्धारण एवं की गई घोषणा के अधार पर की जा रही है, इस स्व.निर्धारण -स्व.निर्धारण पत्र की व्यापारीय जांच यथा समय नियम करा सकती है एवं तब्द्य गलत पाए जाने पर नियमावली कठोरिता 13.2 के अनुसार नियमित शास्त्रित (Fine) एवं अंतर राशि देव होगा।
- KODERMA NAGAR PANCHAYAT द्वारा संयुक्त इस सम्पत्ति कर इन इमारतों/घरों कोई करनी हैसियत प्रदान नहीं करता है और या न ही अपने शालिकों / दबतलकर को कोई कानूनी अधिकार प्रदान करता है।
- अगर आपके नामे होटिंग नंबरों का आडिटी अंक 5/6/7/8 है तो यह तिचिप्ट संरचनाओं की शैली के अनुसार लगा जायेगा।

NOTE : This is a Computer generated receipt. This receipt does not require physical signature.